RTP-5

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प 3(77)नविवि/3/2010पार्ट-1 जयपुर, दिनांक :- 20.05.2011

सचिव,
नगर विकास न्यास,
कोटा।

विषय :- न्यास क्षेत्र में कृषि भूमि योजनाओं के नियमन में आ रही बाधाओं का निराकरण बाबत।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ.15/भू.आ./2011/520 दिनांक 26.04.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र में आप द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

1. 17.06.99 से पूर्व विकसित कृषि भूमि पर विकसित आवासीय योजनाओं में आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र का अनुपात 70:30 के स्थान पर 75:25 किये जाने की अनुमति न्यास स्तर पर गठित ले-आउट प्लान समिति निर्मित योजनाओं के ले-आउट प्लान अनुमोदन व भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत की जाती है।
2. टाउनशिप पॉलिसी, 2002 के अन्तर्गत विकसित योजनाओं जिनमें विकासकर्ता योग्यता के मानदण्डों को पूर्ण नहीं करते है में शिथिलता प्रदान करते हुये टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के प्रावधानानुसार 10 हैक्टयर तक क्षेत्रफल की योजनाओं में विकासकर्ता की योग्यता के मानदण्ड समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. टाउनशिप पॉलिसी, 2002 के अन्तर्गत विकासकर्ता/खातेदार द्वारा आन्तरिक एवं बाह्य विकास के कार्य कराये बिना भूखण्डों का बेचान कर दिया गया है। ऐसी आवासीय योजनाओं में भूखण्डधारी/गठित समितियों द्वारा न्यास के माध्यम से विकास कार्य कराये जाने के आवेदन प्राप्त हुये इसके लिए पृथक-2 भूखण्डधारी/सामुहिक रूप से विकास शुल्क न्यास में जमा कराने के लिए सहमत है। ऐसी स्थिति भूखण्डधारी आन्तरिक एवं बाह्य विकास शुल्क के पेटे राशि जमा कराते है तो उक्त राशि जमा कराकर भूखण्डधारियों को पट्टा विलेख जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. टाउनशिप पॉलिसी, 2002 के तहत आवेदित ऐसी योजनाएं जिनमें भूखण्डों का बेचान किया जाकर आंशिक निर्माण हो चुका उन्हें 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अनुमोदन की कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

ह.

शासन उप सचिव-प्रथम